इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026—फाल्गुन 1, शक 1947

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्र. एफ 5-13 (4-2)-1996-उन्तीस-1.—मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970 के खण्ड 3(ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13 (4-2)-1996-उन्तीस-1, दिनांक 23 जून, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट ''एक'' का लोप किया जाए.

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका स्थापित की जाए अर्थात् :—

''आदेश दिनांक 31 जनवरी 2019 की कंडिका-1 के अनुसार, राज्य शासन की ओर से समस्त जिलों में जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को संबंधित जिले के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है.''

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.